कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 2391 /11–सी–FP/UP/Others/31275/2018, लखनऊ, दिनांकः जून 18 ,2019

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषयः– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग सं0–62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 बॉयी पटरी पर ग्राम चरखौला, तहसील–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं0–568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/31275/2018)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1238/14–1, दिनांक 21.02.2019 (प्राप्त दिनांक–18.06.2019)

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में आज दिनांक 18.06.2019 को प्राप्त हुई हैं। विषयगत प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2019 को पत्र जारी किया गया है, परन्तु प्रस्ताव की मूल फाईले 04 माह तक आपके कार्यालय में ही रखी रही है जिससे स्पष्ट है कि जानबूझकर अनावश्यक विलम्ब किया गया है।

उक्त प्रकरण में आप स्वयं जॉच करें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रस्ताव का परीक्षण भी अपने स्तर से करा लें कि प्रस्ताव में अभिलेख पूर्ण रूप से लगे है या फिर प्रस्ताव से निकाल तो नहीं लिये गये है। यह इसलिए आवश्यक है कि अभिलेख 04 माह तक कहॉ रहे, रखी गई जानकारी रही है।

उपरोक्त प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
18/6
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2391/11–सी– FP/UP/Others/31275/2018, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2– वन संरक्षक बरेली वृत्त, बरेली।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत।

18/6
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

OK